



लय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न०:- 55 / 2021

तारीखरजू:- 18.6.2021

उनवान:- अमरसिंह बनाम धारु

दावा बावत घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा

देनांक	फर्द अहकाम	
2021	<p>वादी की ओर से श्री हसराम गूर्जर एडवोकेट ने दावा बावत स्थाई निषेधाज्ञा राज०टी०एक्ट, के तहत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम के सम्मन जरिए रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 01.07 2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       (दुर्गा प्रसाद मीन)                      उप जिला कलक्टर                      टोडाभीम जिला करौली                 </p>	<p>2296-3000 18/6/21</p>
24.6.21	<p>वादी अमरसिंह एवं वादी ककील ने उपस्थित होकर सार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रकरण को खारिज कराता चाहते हैं आगामी सुनवाई तिथि से पत्रावली तलब कर मुकदमा खारिज कर दिया जो कि ओदेशिका पर हस्ताक्षर किये। अतः यह दावा Not-Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली फेंकल नुमांर होकर नम्बर से कम होकर दारिबल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">                       (दुर्गा प्रसाद मीन)                      उपसंग्रह अधिकारी टोडाभीम                      जिला-करौली                 </p>	<p>Not-Press में खारिज किया जावे अमरसिंह Gd. 24/6/21</p>